7/12/15

वकील प्रार्थीगण उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में विपक्षीगण के समक्ष तामील शुदा प्राप्त हो चुके हैं। विपक्षीगण बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहे हैं। विपक्षीगण को कोर्ट समय में तीन बार तीन तीन आवाजें दिलाई गई। विपक्षीगण बावजूद आवाजें दिलाने एवं नोटिस तामील के अनुपस्थित। अतः विपक्षीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। तथा 28/08/15 को जारी निषेधाज्ञा आदेश मूल वाद के निस्तारण तक पुष्ट किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

07/12/15
सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी

Scanned by CamScanner

FORM NO. III

फर्दअहकाम

(नियम– 26)

अज अदालत ....सहायक कलक्टर (S.D.O.), ... गुड़ामालानी...........

प्रार्थी बनाम	विप्रार्थीगण
1. रिडमल पुत्र हीरा 2. प्रभुराम पुत्र हीरा 3. रूखमो पुत्री हीरा 4. केसी पत्नी हीरा 5. भगवती पुत्री हीरा 6. सेवाराम पुत्र हीरा (वादी सं. 6 नाबालिंग की ओर से प्राकृतिक संरक्षक माता वादीनी संख्या 4 केसी है) सभी कौम मेघवाल साकिन सिणधरी चारणान	1. हीरा पुत्र स्व. देवाराम 2. भाना पुत्र स्व. देवाराम 3. रतना पुत्र स्व. देवाराम 4. बाला पुत्र स्व. ताराराम 5. भेरा पुत्र ताराराम कौम मेगवाल निवासी सिणधरी चारणान 6. तहसीलदार एवं उप पंजीयक सिणधरी

किस्म मुकदमा........धारा 212 रा.का.अ................नं.......166........सन......2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मेंजारी हुए
28.08.2015	प्रार्थीगण रिडमल वगैरा की ओर से यह प्रार्थना पत्र वकील श्री दीपूसिंह चौधरी द्वारा विप्रार्थीगण हीरा वगैरा के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया। जिसे बाद जांच दर्ज रजिस्टर से तलब किया गया। वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 5 के पैतृक खातेदारी के खेत ग्राम सिणधरी चारणान तहसील सिणधरी में खेत खसरा संख्या 33 रकबा 127.06 बीघा, खसरा संख्या 32 रकबा 02 गैरमु. कुल रकबा 127.08 के अवस्थित हैं। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण हिन्दू विधि एवं उत्तराधिकार अधिनियम शासित है। प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 प्रत्येक का 1/4 एवं विप्रार्थी संख्या 4 व 5 का 1/4 हिस्सा खातेदारी है तथा प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 1 के वारिशान हैं। विप्रार्थी संख्या 1 शराब एवं अफीम का नशेडी है तथा प्रार्थीगण को हर तरह से नुकसान पहूंचाकर अपने नशे की पूर्ति में लगा रहता है। उक्त वादग्रस्त खेत मे संख्या 1 अकेले के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने से उक्त संयुक्त पैतृक भूमि को बेचान करने पर आमादा है। जिससे अपने हकों की सुरक्षार्थ अधिकारों की घोषणा बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र न्यायालय श्री में पेश किया गया है। जिसके निस्तारण में समय लगना सम्भव है। अतः दौराने दावा विरूद्ध विप्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री दीपूसिंह चौधरी की एक पक्षीय बहस सुनी एवं पत्रावली का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रथम दृष्ट्या सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र न्यायहित में आराजी तौर पर स्वीकार किया जाकर आगामी तारीख तारीख पेशी तक विप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ग्राम ग्राम सिणधरी चारणान तहसील सिणधरी में खेत खसरा संख्या 33 रकबा 127.06 बीघा, खसरा संख्या 32 रकबा 02 गैरमु. कुल रकबा 127.08 में प्रार्थीगण के हक हिस्सा की भूमि तक मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। विप्रार्थीगण को सम्मन जारी होकर पत्रावली दिनांक 05.10.2015 को पेश हो। [signature] 28/8/15 सहायक कलक्टर SDO (गुड़ामालानी क्रमांक–वाद/15/1662–64 दिनांक–28.8.15 प्रतिलिपि–1 तहसीलदार सिणधरी को पालनार्थ 2. प्रार्थी रिडमल बगैरह 3. विप्रार्थी हीरा बगैरह [signature] सहायक कलक्टर	

SDO (गुड़ामालानी

Scanned by CamScanner